पत्रांक–16 / औषधि (बजट)–01–09 / 2021 / ..161(16)

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

उप निदेशक (औषधि)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय, नामकुम, राँची।

राँची, दिनांक: 21.7.26

विषयः वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य औषधि नियंत्रण प्रशासन, झारखण्ड अंतर्गत निदेशालय, क्षेत्रीय औषधि निरीक्षक कार्यालय एवं राज्य औषधि जाँच प्रयोगशाला, नामकुम, राँची में बाह्य श्रोत पर कार्यरत कर्मियों की सेवा प्राप्त करने हेतु कुल 3,04,50,981/– (तीन करोड़ चार लाख पचास हजार नौ सौ इक्यासी) रूपये मात्र का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–17(5)ब, योजना दिनांक–27.05.2026 एवं निदेशक (औषधि), राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय के अधियाचना पत्रांक–766(D) दिनांक–22.06.2026 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य औषधि नियंत्रण प्रशासन, झारखण्ड अंतर्गत निदेशालय, क्षेत्रीय औषधि निरीक्षक कार्यालय एवं राज्य औषधि जाँच प्रयोगशाला, नामकुम, राँची में बाह्य श्रोत पर कार्यरत कर्मियों (डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट, लेखपाल–सह–रोकड़पाल, आदेशपाल एवं सफाईकर्मी) की सेवा प्राप्त करने हेतु कुल 3,04,50,981/– (तीन करोड़ चार लाख पचास हजार नौ सौ इक्यासी) रूपये निम्न तालिका के अनुसार आवंटित की जाती है–

क्र०	कार्यालय का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	आवंटित राशि
1.	राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय, झारखण्ड	उप निदेशक (औषधि) DRMED173	2,92,98,672/–
2.	राज्य औषधि जाँच प्रयोगशाला, झारखण्ड	उप निदेशक (औषधि) DRNMED274	11,52,309/–
		कुल	**3,04,50,981/–**

2. व्यय का विकलन राज्य योजना बजट शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–110–अस्पताल तथा औषधालय–69–सभी अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों, लेबोरेट्रीज कार्यालयों, डायग्नोस्टिक सेन्टर्स एवं अन्य संस्थानों (मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर) के लिए आउटसोर्सिंग–01–स्वास्थ्य सुविधाओं, जिलों और मुख्यालय में सेवाओं की विभिन्न श्रेणी की आउटसोर्सिंग–03–प्रशासनिक व्यय–29–व्यावसायिक सेवाएँ (विपत्र कोड–20एस 2210–01–110–69–01–03–29) के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
3. इस योजना हेतु आंवटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप निदेशक (औषधि)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय, नामकुम, राँची होंगे।
4. इस संपूर्ण आवंटित राशि के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि आउटसोर्सिंग के तहत निविदा में निर्धारित मजदूरी की राशि श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं हो।

(ध्रुव प्रसाद)	(सीमा कुमारी उदयपुरी)	(सदीप कुमार दोराईबुरू)	(अजय कुमार सिंह)
उप सचिव	संयुक्त सचिव	अपर सचिव	अपर मुख्य सचिव

6. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561, दिनांक–17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से की जाएगी।
7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आउटसोर्सिंग अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों का मानदेय भुगतान प्रत्येक माह के 15वीं तारीख तक उनके बैंक खाते में किया गया है।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी द्वारा निम्न शर्त्तों का पालन अवश्यमेव किया जायेगाः–
 - बाह्य एजेन्सी द्वारा नियोजित कर्मियों का उपस्थिति अनिवार्य रुप से बायोमेट्रिक सिस्टम में दर्ज कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
 - यह सुनिश्तिच किया जायेगा कि बाह्य एजेन्सी नियोजित कर्मियों के अनिवार्य देयता जैसे EPF/CPF, सेवाकर आदि भुगतान का अनुपालन करेंगे।
 - बाह्य श्रोत से कार्यरत कर्मियों की उपस्थिति की जाँच करते हुए पूर्णरुपेण संतुष्ट होने के उपरांत की भुगतान सुनिश्चित करेंगे। किसी प्रकार की गलत भुगतान एवं अनियमितता के लिए वे व्यक्तिगत रुप से जिम्मेवार होंगे।
 - बाह्य श्रोत से ली गई सभी प्रकार की सेवाएँ हेतु कर्मियों का पूर्ण डाटा/कर्मी का नाम/पता/आधार नम्बर एवं धारित पदीय अर्हता एवं मासिक वेतन की जानकरी संस्थानवार/जिलावार संधारित किया जाएगा।
 - विभागीय निदेश के विपरीत अनाधिकृत रुप से मानवबल रखने के फलस्वरुप विभाग पर वित्तीय दायित्व बढ़ने की स्थिति में संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को वित्तीय अनियमितता का दोषी माना जाएगा।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत्यादेश संख्या–17(5)ब०यो० दिनांक–27.05.2026 एवं विभागीय संकल्प संख्या–370A(5) दिनांक–11.05.2022 में अंकित सभी शर्त्तों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए राशि का व्यय सुनिश्चित किया जाएगा।
10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्शान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रुप से महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के साथ निश्चित रुप से कराते रहेंगे।
11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आंवटित राशि का व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी प्रत्येक माह के 10वीं तारीख को विभाग को समर्पित करेंगे।

विश्वासभाजन,

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः–16/औषधि (बजट)–01–09/2021/161(16) दिनांकः– 21.7.26

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची।
2. कोषागार पदाधिकरी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची।
3. निदेशक (औषधि), राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय, नामकुम, राँची।
4. अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ध्रुव प्रसाद)
उप सचिव

(सीमा कुमारी उदयपुरी)
संयुक्त सचिव

(संदीप कुमार दोराईबुरू)
अपर सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Health , Medical Education and Family Welfare Department

चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 16-A-B-01-09/21/161(16) दिनांक - 22-Jul-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 20 22100111069010329 2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी 110 - अस्पताल तथा औषधालय 69 - सभी अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों, लेब्रोरेट्रीज कार्यालयों, डायग्नोस्टिक सेन्टर्स एवं अन्य संस्थानों (मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर) 01-स्वास्थ्य सुविधाओंए संस्थानों जिलों और मुख्यालय में सेवाओं की विभिन्न श्रेणी की आउटसोर्सिंग 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme State Scheme : OUTSOURCING FOR ALL HOSPITALS, HEALTH CENTRES, LABORATORIES, OFFICES, DIAGNOSTIC Centeral Scheme : CENTERS AND OTHER INSTITUTES (EXCEPT MEDICAL COLLEGE)(1692)	45486	DRNMED173 SUJIT KUMAR DY. DIRECTOR (DRUGS)S.D.C.DIR. 29 - व्यावसायिक सेवाएँ	29,298,672.00 रुपये दो करोड बयानवे लाख अठानवे हजार छः सौ बहत्तर
2	S 20 22100111069010329 2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी 110 - अस्पताल तथा औषधालय 69 - सभी अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों, लेब्रोरेट्रीज कार्यालयों, डायग्नोस्टिक सेन्टर्स एवं अन्य संस्थानों (मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर) 01-स्वास्थ्य सुविधाओंए संस्थानों जिलों और मुख्यालय में सेवाओं की विभिन्न श्रेणी की आउटसोर्सिंग 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme State Scheme : OUTSOURCING FOR ALL HOSPITALS, HEALTH CENTRES, LABORATORIES, OFFICES, DIAGNOSTIC Centeral Scheme : CENTERS AND OTHER INSTITUTES (EXCEPT MEDICAL COLLEGE)(1692)	45487	DRNMED274 DR. SUJIT KUMAR DEPUTY DIRECTOR (DRUGS) D.C.D 29 - व्यावसायिक सेवाएँ	1,152,309.00 रुपये ग्यारह लाख बावन हजार तीन सौ नौ

योग: 30,450,981.00

क्रमिक योग: रुपये तीन करोड चार लाख पचास हजार नौ सौ इक्क्यासी

(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

10.92.23.5

Run Date: 22/7/2026

वित्तीय वर्ष **2026-27** में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं॰ - 20 स्वास्थ्यए चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

मुख्य शीर्ष-2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य & 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी & 110 - अस्पताल तथा औषधालय & 69 - सभी अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों, लेब्रोरेट्रीज कार्यालयों, डायग्नोस्टिक सेन्टर्स एवं अन्य संस्थानों (मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर) के लिए आउटसोर्सिंग

Sl No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	20S22100111069010329	Total
					व्यावसायिक सेवाएँ	
1	2	3	4	5	6	7
1	Doranda	DRNMED173	Sujit Kumar	Dy. Director (Drugs)S.D.C.Dir.	₹2,92,98,672.00 (45486)	₹2,92,98,672.00
2	Doranda	DRNMED274	Dr. Sujit Kumar	Deputy Director (Drugs) D.C.D	₹11,52,309.00 (45487)	₹11,52,309.00

कुल आवंटित राशि :- ₹3,04,50,981.00 (तीन करोड चार लाख पचास हजार नौ सौ इक्कयासी **) रूपये मात्र |**

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY